मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 20, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये : -

(1) श्री हरिनारायण डहेरिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा तथा
(2) डॉ. रामजी मस्तकार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एवं श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य ने भी शोकोदगार व्यक्त किये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में कार्यवाही 10. 40 बजे स्थगित की जाकर 10.47 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 5, 6 ,7 ,8, 9, 10, 11 ,12, एवं 13) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 60 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 71 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 38 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के शासकीय महाविद्यालय आलमपुर में अव्यवस्था होने,
(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा क्षेत्र के आक्यादेह व्हाया सुजापुर पंचेवा मार्ग जीर्ण शीर्ण होने,
(3) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी के गोपालनगर कालोनी में अवैध भवन को न गिराये जाने,
(4) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की मुरैना जिले के कई ग्रामों में विद्युत आपूर्ति की परेशानी होने,
(5) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की ई-रजिस्ट्री में विकलांगों के लिये पावर ऑफ अटॉर्नी की व्यवस्था की जाने,
(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मन्दसौर शहर में शराबियों द्वारा माहौल खराब किये जाने,
(7) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल जिले के वक्फ सम्पत्तियों की गलत एन.ओ.सी. जारी किये जाने,
(8) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य की जावरा के सरदार पटेल नर्सिंग कालेज बन्ना खेड़ा में प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता होने,
(9) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की नागदा में ए.डी.जे कोर्ट खोले जाने,
(10) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले के महाराजपुर क्षेत्र अंतर्गत बिजली कर्मियों द्वारा अवैध वसूली की जाने,
(11) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले में स्थानांतरित पटवारियों द्वारा नामांतरण पंजी अभिलेखागार में जमा न कराई जाने,
(12) श्री दिनेश कुमार अहिरवार, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के जतारा क्षेत्र में सेवा सहकारी समितियों से खाद्यान्न वितरण का कार्य न लिये जाने,
(13) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर जिले के घाटीगांव क्षेत्र अंतर्गत बंद खदानों को चालू किये जाने,
(14) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की अशोक नगर के ग्राम मटोली के कृषक की भूमि का सीमांकन न किये जाने,
(15) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले की पंचायत मउगंज के ग्राम झलवार की शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर कब्जा कर भवन निर्माण किये जाने,

(16) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में को-ऑपरेटिव बैंक के उप मुख्यालय की स्थापना की जाने,
(17) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम सुढालिया उकावद स्थित पार्वती नदी पर निर्मित रपटा जर्जर अवस्था में होने,
(18) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की कोलार मालीवाया व्हाया बीरपुर सड़क मार्ग की जर्जर हालत होने,
(19) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, सदस्य की राजधानी परियोजना अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को उन्नयन का उचित लाभ न दिये जाने,
(20) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले में पुलिस बल की कमी होने,
(21) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की प्रदेश सहित सीधी सिंगरौली जिले में सूखे की स्थिति का सर्वे न होने,
(22) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, सदस्य की बिजावर के ग्राम किशनगढ़ में पेयजल समस्या होने,
(23) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की विकलांग पेंशन में बी.पी.एल. कार्ड की अनिवार्यता समाप्त की जाने,
(24) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की भोपाल के महाराणा प्रताप नगर, जोन टू में अतिक्रमण होने,
(25) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की प्रदेश में स्वेच्छा अनुदान की राशि बड़वाह में समय पर न पहुंचने,
(26) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की इंदौर बैतूल मार्ग पर रेत के डंपर्स रात्रि के समय ही चलाये जाने,
(27) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी न होने,
(28) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के खनियाधाना के अ.जा. एवं अ.ज.जा. के पट्टेधारियों की भूमि दर्ज न होने,
(29) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिला चिकित्सालय में गलत ड्रिप लगाने से बच्चे की मृत्यु होने,
(30) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की सेवड़ा एवं इंदरगढ़ नगर पंचायत में सड़क किनारे नाली का निर्माण न किये जाने,
(31) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की सिंगरौली जिले में हैण्डपंप का उत्खनन न किये जाने,
(32) श्री मधु भगत, सदस्य की छात्रों हेतु यात्रा के दौरान रियायती दर से पास बनाये जाने,
(33) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य की छतरपुर जिले के चंदला क्षेत्र में शौचालय का निर्माण न होने,
(34) श्री गोपाल सिंह चौहान, सदस्य की अशोक नगर जिले में कृषकों को मुआवजा न मिलने,
(35) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के त्यौंथर क्षेत्र की नल जल योजनाएं बंद होने,
(36) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की विदिशा के गंजबासौदा में हितग्राहियों के नाम बी.पी.एल. सूची से काटे जाने,
(37) श्री राम सिंह यादव, सदस्य की शिवपुरी नगर की जल आवर्धन योजना का कार्य प्रारम्भ न किये जाने तथा
(38) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य की बुंदेलखण्ड क्षेत्र में हैण्डपंप खनन की स्वीकृति दी जाने,
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

4. शून्यकाल में सूचना पर अध्यक्षीय निर्देश

सर्वश्री तरूण भनोत, सुन्दरलाल तिवारी, सदस्यगण द्वारा शून्यकाल में सूचना दी कि लगातार तीन दिनों से महाधिवक्ता कार्यालय में न माननीय महाधिवक्ता और ना ही उनका कोई सरकारी वकील हाईकोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं. मध्यप्रदेश के हजारों लोग न्याय से वंचित हो रहे है. इस पर माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि - "इस पर विभागीय जानकारी बुलाई गई है, जानकारी के बाद निर्णय लिया जाएगा. "

श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा शून्यकाल में सूचना दी कि बड़वानी में आंखों के ऑपरेशन के बाद 43 व्यक्तियों के आंखों की रोशनी चली गई थी, अब उनकी संख्या 63 हो चुकी है इस विषय को उठाने पर माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि - "इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव द्वारा चर्चा करा चुके है, तब आप लोगों ने भी उस पर चर्चा की थी. इस तरह से कार्यवाही को बाधित नहीं होने देंगे. मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं."

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

आयुक्त, नगर निगम भोपाल द्वारा जिले के विधायकों की उपेक्षा किये जाने विषयक

सर्वश्री आरिफ अकील, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री एवं मुकेश नायक, सदस्यगण ने आयुक्त, नगर निगम भोपाल द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2015 को भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने संबंधी बैठक में जिले के विधायकों की उपेक्षा किये जाने एवं इस प्रकरण को नियम 232 के अनुसार सदस्य सुविधा समिति और विशेषाधिकार समिति को सौंपने का उल्लेख करने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - "माननीय सदस्य यह विषय मेरे संज्ञान में लाये है . आप उसकी सूचना विधिवत दे दें तो हम उसको सदस्य सुविधा/विशेषाधिकार समिति को भेजकर उसकी जांच करा लेंगे और उसके बाद कार्यवाही करेंगे. "

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने –

(क) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 तथा

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी, जिला कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14,

पटल पर रखे.

7. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 6 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार –

(1) श्री संजय पाठक, सदस्य ने कटनी जिले में गरीबी रेखा के नीचे के हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ न दिये जाने की ओर सामाजिक न्याय मंत्री की अनुपस्थिति में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने रतलाम जिले के सैलाना क्षेत्र में रेल्वे लाईन हेतु अधिग्रहीत भूमि का कम मुआवजा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य ने दतिया जिले के सेवढ़ा में बायपास मार्ग के निर्माण में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सुरेन्द्र पटवा, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य ने सिवनी जिले में धान की फसल की बीमा राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(5) श्री वेलसिंह भूरिया, सदस्य ने धार जिले के ग्राम राजगढ़ में एक आदिवासी युवक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

8. ध्यानाकर्षण में बिना अनुमति कई प्रश्न करने पर अध्यक्षीय व्यवस्था

सर्वश्री वेलसिंह भूरिया, मुकेश नायक, पन्नालाल शाक्य आदि सदस्यगण द्वारा ध्यानाकर्ष में शासन के वक्तव्य पर अनेक अनुपूरक प्रश्न करने से कार्यवाही में व्यवधान होने के कारण उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- "माननीय सदस्य, मंत्री महोदय को अपने मनमाफिक उत्तर के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं. गृह मंत्री महोदय, माननीय सदस्यगण को बुलाकर चर्चा कर लीजिएगा और उचित कार्रवाई करियेगा"

उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के पश्चात् अगले ध्यानाकर्षण पर चर्चा प्रारंभ हुई.

9. ध्यान आकर्षण (क्रमशः)

(6) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने सीधी वन मण्डल परिक्षेत्र में किये गये कार्यों में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

10. बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा वन मण्डल परिक्षेत्र में किये गये कार्यों में अनियमितता होने संबंधी ध्यानाकर्षण पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(2) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(3) श्री नारायण सिंह पँवार (जिला-राजगढ़)
(4) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(5) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(6) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(7) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक (जिला- छतरपुर)
(8) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(9) श्री भारत सिंह कुशवाह (जिला-ग्वालियर)
(10) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(11) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
(12) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(13) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)

12. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि--"नियमावली के नियम-23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे अशासकीय कार्य हेतु नियत है परन्तु कार्यसूची में उल्लेखित कार्य पूर्ण हो जाने पर आज पूर्वाह्न में ही कार्यसूची में अंकित याचिकाओं की प्रस्तुति के उपरान्त अशासकीय संकल्प लिये जायेंगे".

13. अशासकीय संकल्प

(1) सुश्री उषा ठाकुर सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि – "सदन का यह मत है कि राष्ट्रीय तीर्थ अण्डमान निकोबार (पोर्ट ब्लेयर) क्रांतिकारियों की तपस्थली है. नागरिकों में राष्ट्र चरित्र निर्माण हेतु वहां की यात्रा पर जाने वाले देशभक्त तीर्थ यात्रियों की यात्रा पर आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश शासन प्रदान करें."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) सुश्री उषा ठाकुर

14. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि "आज की कार्य सूची में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय".

15. अशासकीय संकल्प (क्रमश:)

(2) श्रीमती रंजना बघेल
(3) श्री मुकेश नायक
(4) श्री शंकरलाल तिवारी
(5) श्री राजेश सोनकर
(6) श्री विश्वास सारंग

श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

संकल्प वापस हुआ.

अशासकीय संकल्प क्रमांक (2) को आगामी शुक्रवार को लिये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अशासकीय संकल्प क्रमांक 2 के प्रस्तावक सदस्य श्री रामनिवास रावत के प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने संबंधी संकल्प को उनके अनुरोध को स्वीकार किया गया है एवं इसे आगामी शुक्रवार को लिया जायेगा.

(2) श्री संजय पाठक, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि – "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि 13025 अप हावड़ा भोपाल एवं 13026 डाउन भोपाल हावड़ा तथा 19607 अप अजमेर-कोलकाता व 19608 डाउन कोलकाता अजमेर रेलगाड़ियों का पश्चिम् मध्य रेल्वे के खन्ना बंजारी स्टेशन पर स्टापेज किया जाये." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन ने वक्तव्य दिया.

संकल्प स्वीकृत हुआ.

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि – "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रेल्वे स्टेशन भदौरा से जिला मुख्यालय सीधी तक नई रेल्वे लाईन बनाई जावे." तथा संक्षिप्त भाषण दिया. श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन ने वक्तव्य दिया.

संकल्प स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 1.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 (23 अग्रहायण, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 11 दिसम्बर, 2015